विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–205/2025

सुश्री शान्ति देवी, वादी
श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री शान्ति देवी, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 14.10.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा नया विद्युत संयोजन लिया गया था, इस नये संयोजन में जो मीटर वादिनी को दिया गया था वह पहले से उपयोग में लाया गया मीटर था एव जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से 1760 रीडिंग का बिल वादिनी को प्राप्त हुआ है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 761, दिनांक 14.10.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 802, दिनांक 11.11.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

Kirti Prasad
06/02/26

6/2/26

विपक्षी द्वारा जवाबदावा पेश नही किया गया तो मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 832, दिनांक 08.12.2025 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 15.12.2025 निश्चित् की गई। जिसमें विपक्षी की ओर से श्री मोहित अग्रवाल (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं जवाबदाव पेश नहीं किया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4700/विविख(श्री), दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बीजक संशोधित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का बिल मीटर बदलने के पश्चात् नये मीटर की रीडिंग शून्य मानकर निर्गत कर दिया गया था जबकि मीटर में प्रारम्भिक रीडिंग 1750 थी अर्थात् वादी को 1750 यूनिट का गलत बिल निर्गत कर दिया गया है जिसको कि विपक्षी द्वारा संशोधित कर रू0 13300.00 वादी के बिल से घटा दिये गये हैं। माह 01/2026 में कुल बकाया धनराशि रू0 2624.00 का बिल निर्गत किया गया है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/2/2026 अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	6/2/26 रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	Kirti Prasad 06/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/2/2026 अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	6/2/26 रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	Kirti Prasad 06/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक / / 2026

वाद संख्या–208 / 2025

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत
ग्राम–पलाण (रणगांव)
ब्लॉक–थलीसैंण, पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)

कोरम

श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, ग्राम–पलाण (रणगांव), पो0–ऐंठी, ब्लॉक–थलीसैंण, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 29.10.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा निम्न बिन्दु अनुसार शिकायत की गई थी –

1. Pl ref my earlier letter dated 16 Oct 2025 (copy attch).
2. I would like to submit few lines for your kind consideration and favourable action pl.
3. It is intimated that the ground staff had visited the site after our previous complaint.
4. However, the work was not carried out properly, nor has cable wire been installed at the site. Only light trimming of the branches above the electric lines has been done. And the main obstruction remains unattended, causing continued safety concerns for the school children & nearby residents.
5. In view of the above, may I request your personal indulgence in this matter and arrange to complete the remaining work at the earliest.
6. Site photographs have been attch at Appendix-A.
7. For info and necessary action pl.

इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

Amit Thak. 6/2/2026 6/2/26 Kirti Prasad 06/02/26

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 765, दिनांक 29.10.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड नैनीडांडा द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 808, दिनांक 17.11.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 1000/विविख(नै0)/उपाकालि/CGRF, दिनांक 30.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पेडों पर विद्युत तार लगने के सन्दर्भ में सम्बन्धित ठेकेदार को दिये गये निर्देशों के पश्चात् अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा कथित स्थान पर लाइनमैन द्वारा लौपिंग का कार्य किया जा चुका है।

विश्लेषण

संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा अपने लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया कि ग्राम–पलाण थलीसैंण में जो विद्युत लाईने पेडों से लगी हुई थी या झूल रही थी उनको विभाग द्वारा लौपिंग कर दिया गया है। जिससे ग्रामवासियों को कोई खतरा नहीं है। मामले का उपरोक्तानुसार निस्तारण कर दिया गया है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण उपरोक्तानुसार कर दिया गया है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि 01 माह के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करे। उभय पक्ष अपना–अपना पक्ष स्वयं वहन करें।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	6/2/26	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया। 6/2/2026

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)		कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–222 / 2025

श्री दीपक मिश्रा
सतपुली
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री दीपक मिश्रा, सतपुली, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई है कि प्रतिमाह बिल में अतिरिक्त प्रतिभूति किस्त के रूप में 1700 रू0 जुडकर आ रहा है जबकि वादी के 4 कि0वा0 के संयोजन पर प्रतिभूति जुडकर 18 से 20 हजार रू0 तक हो चुकी है। प्रतिमाह अतिरिक्त प्रतिभूति जुडने के कारण वादी को काफी परेशानियां हो रही है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 816, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया। और 02 सप्ताह के भीतर जवाबदावा प्राप्त न होने पर विपक्षी को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 858, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

Amit Thakur 6/2/2026   [signature]   Kirti Prasad 06/02/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3026, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0–PG65601332317 जो कि श्री सोहन मिश्रा के नाम पर संयोजित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयोजन का विद्युत भार 04 कि0वा0 है जबकि उपभोक्ता की कुल जमानत धनराशि 18443.00 बिल के सापेक्ष जमा होनी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक उपभोक्ता द्वारा कुल जमानत धनराशि रू0 13348.00 जमा की गई है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग (खपत) के आधार पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के प्रावधान Section 4.2(2) of 'Electricity act 2003' के अन्तर्गत एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 390/UPCL/RM/F-4 Dated 25-01-2024 के अनुपालन में सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा कुल वांछित धनराशि (18443–13348)= 5095 जमा होनी शेष है।

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 886, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई। वादी के बिल विवरण से स्पष्ट है कि **माननीय विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति कोड दिनांक 29 अक्टूबर 2020 के पैरा नं0–4.2 अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के बिन्दु सं0–01 के अनुसार गत वर्ष की 31 मार्च को जमा अवशेष प्रतिभूति 'विद्यमान प्रतिभूति राशि' के रूप में जमा होगी उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के N+1 महीने की अनुमानित औंसत उपयोग के बराबर या अनुज्ञापी के पास विद्यमान जमा प्रतिभूति, जो भी अधिक हो, को किसी भी देरी या विलम्ब के लिए भुगतान के विपरीत प्रतिभूति (आवश्यक प्रतिभूति जमा) के रूप में रखना आवश्यक है।**

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी के बिल में नियमानुसार अतिरिक्त प्रतिभूति की वसूली मासिक बिलों के साथ की जा रही है जो कि नियमानुसार सही है। वादी यदि इस निर्णय

Kr Prasad 06/02/26

6/2/26

से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)</u>
<u>द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174</u>
<u>दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–</u> **<u>Cgrfsrinagar@gmail.com</u>**

<u>*वाद संख्या–229 / 2025*</u>

सुश्री हेमन्ती देवी   वादी
ग्राम–मलेथा (झोपडी)
टिहरी गढवाल।

<u>*बनाम*</u>

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड   विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)   कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री हेमन्ती देवी, ग्राम–मलेथा (झोपडी), टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत मापक 06 / 2025 को बदला गया था जिसके बाद अत्यधिक विद्युत बिल प्राप्त हो रहे थे वादिनी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 02 कमरो का मकान है एवं वह ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करती है जिससे कि विद्युत की अधिक खपत हो। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 848, दिनांक 19.12.20255 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 889, दिनांक 06.01.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

06/02/26

पुनः 02 सप्ताह का समय बीत जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया तत्पश्चात् मंच द्वारा पुनः अपने पत्र सं0 894, दिनांक 24.01.2026 को स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–328 / वि0वि0ख0(पौ0) / दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा उक्त संयोजन की जांच कराई गई जिसमे उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का मीटर 29.01.2025 को बदला गया था दिनांक 13.12.2025 तक उपभोक्ता के मीटर मे मीटर मे 664 KWH यूनिट पाई गई। उपभोक्ता का बीजक उनकी विद्युत खपत के अनुसार ही प्रेषित किया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का मापक दिनांक 20 मई 2025 को बदला गया था, उसके पश्चात् वादी को रीडिंग के अनुसार ही बिल नियमानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

वादी को उनकी विद्युत खपत के अनुसार ही बिल निर्गत किये जा रहे है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/2/26	6/2/26	Kirti Prasad 06/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/2/26	6/2/26	Kirti Prasad 06/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–230/2025

श्री श्यामबिहारी डोभाल
निकट बैंक ऑफ इण्डिया
सक्रिट हाऊस, पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री श्यामबिहारी डोभाल, निकट बैंक ऑफ इण्डिया, सक्रिट हाऊस, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 26.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि तकनीकी खराबी के कारण विभाग द्वारा नया मीटर लगाया गया था परन्तु नये मीटर में अधिक रीडिंग आने के कारण वादी के अनुरोध पर विभाग द्वारा चैक मीटर लगाया गया। चैक मीटर लगाने के उपरान्त भी रीडिंग पहले की भांति अधिक आ रही थी। पत्पश्चात् वादी द्वारा अपने भवन की फिटिंग को चैक कराया गया जिसमें पाया गया कि अर्थिंग का तार लाईन से टच हो रहा है जिस कारण अधिक रीडिंग आ रही है परन्तु लाईन सही कराने के पश्चात् रीडिंग का सही होना बताया जा रहा है। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में वादी द्वारा विभाग को भी पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु विभाग द्वारा वादी को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिससे उनको

Kirti Prasad
06/02/26

[signature] 6/2/2026 [signature]

परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 862, दिनांक 26.12.20255 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2920/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि, दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या–PG13403003923 के परिषर पर उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत परिक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा दिनांक 29.10.2023 को चैक मीटर स्थापित किया गया, चैक मीटर लगाने के उपरान्त पुराना मीटर एवं चैक मीटर की रीडिंग सही पाई गई, तत्पश्चात् उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर की विद्युत वायरिंग (फिटिंग) चैक कराई गई जिसमें उपभोक्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि उनकी अर्थिंग में बडबडी पाई गई। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मीटरिंग के पश्चात् वायरिंग (फिटिंग) के रखरखाव का दायित्व उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाता है। अतः उपभोक्ता पर वास्तविक विद्युत बिल बकाया रू0 11124.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 891, दिनांक 13.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 निश्चित् की गई, उसके पश्चात् आज अन्तिम सुनवाई की गई और विश्लेषण के पश्चात् निर्णय पारित किया गया।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के यहां दिनांक 29.10.2025 को चैक मीटर लगाया गया था, चैक मीटर व पुराने मीटर के विद्युत उपभोग में कोई अन्तर नहीं पाया गया था, वादी के अनुसार वादी द्वारा अपने घर की अर्थिंग को ठीक कराया गया। वादी अब अपने मीटर के उपभोग से संतुष्ट है।

Kirti prasad
06/02/26

आदेश

वादी द्वारा मीटर बदलने के उपरान्त अपने विद्युत वाइरिंग को ठीक कराया गया। घर की वाइरिंग का रखरखाव का कार्य वादी द्वारा स्वयं कराया जाना अपेक्षित है, वादी का बिल नियमानुसार सही निर्गत किया गया है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/2/2026 अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	6/2/26 रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	Kirti Prasad 06/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/2/2026 अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	6/2/26 रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	Kirti Prasad 06/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–231/2025

श्री महेन्द्र सिंह राणा
ग्राम–सतपाली, ब्लॉक–एकेश्वर
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) कोरम

वादी श्री महेन्द्र सिंह राणा, ग्राम–सतपाली, ब्लॉक–एकेश्वर, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 29.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि दिनांक 14 सितम्बर 2025 नये विद्युत संयोजन हेतु तय रू0 1600/– का भुगतान किया जिसके उपरान्त संयोजन सं0–PG26304372926 वादी को दिया गया, परन्तु संयोजन में दिया गया विद्युत मीटर नया न होकर पुराना प्रयोग में लाया गया मीटर है जो कि परिवादी को संयोजन में दिये जाने से पहले भी लगभग 250 यूनिट चल चुका है जिसे कि वादी द्वारा स्वयं मुख्यमंत्री पोर्टल में दिये गये शिकायत के निवारण में विभाग ने माना भी है इसके अलावा यह विद्युत मीटर बिना कवर का भी है। गौरतलब है कि किसी भी नियमानुसार यह तय है कि उपभोक्ता द्वारा जब भी नया संयोजन लिया जाता है तो उसे नया मीटर दिया जाना चाहिए, परन्तु यहा पर परिवादी को नया मीटर न देकर पुराना मीटर दिया गया है जो कि कहीं न कहीं इण्डियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट का उलंघन भी है। अतः निवेदन है कि मुझे नया विद्युत मीटर प्रदान करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

Kirti Prasad
06/02/26

6/2/2026

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 863, दिनांक 26.12.20255 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2921/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि, दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 15.09.2025 को संयोजन संख्या– PG26304372926 के सापेक्ष नया विद्युत मापक संख्या 151448 स्थापित हुआ। विभाग के भण्डार केन्द्र में परीक्षित (Tested) उपलब्ध विद्युत मीटर के आधार पर ही उपभोक्ता के परिसर पर नये विद्युत संयोजन हेतु पुराना मापक स्थापित किया गया जिसकी परीक्षण के समय कुल 287 रीडिंग को उपभोक्ता के मापक की प्राथमिक रीडिंग (Initial Reading) मानते हुये स्थापित किया गया जो कि सही है।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि नये संयोजनों पर अथवा खराब मापक बदलने में विपक्षी द्वारा पुराने मापक (Used Meter) जो कि Tested होते हैं और उनमे उपस्थित रीडिंग के पश्चात् ही नये बिल निर्गत किये जाते हैं। जो कि नियमानुसार सही है।

आदेश

वादी के यहां पुराना मापक लगाया जाने में कोई अनियमितता नहीं है वादी को पुराने मापक की रीडिंग के पश्चात् ही वादी को बिल निर्गत किया गया है जो कि नियमानुसार सही है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/2/2026	6/2/26	06/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/2/2026	6/2/26	06/02/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)

द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174

दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–232/2026

श्री करम सिंह
ग्राम–दशोली, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल
टिहरी गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री करम सिंह, ग्राम–दशोली, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि आजादी के बादी भी आज तक सांदणाकोट के राजस्व कुमांई गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है जिससे कि पलायन की पूरी जिम्मेदारी है एवं ग्राम दशोली मे एच0टी0 की लाईन गांव के बीचों बीच पेडों से टकरा रही है एवं ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज लाईन एक गरीब परिवार के छत के ऊपर से जा रही है एवं इनके पास मकान बनाने हेतु अन्य कोई जमीन नहीं है, जिससे वादी काफी परेशान है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 865, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

28/2/26 Kirti Prasad 28/02/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–720/विविखश्री/दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि गांव में एक ही परिवार निवास करता है, एवं विद्युतीकरण के लिए लगभग 2.3 किमी 11 के0वी0 विद्युत लाईन का निर्माण, 16 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर एवं एल0टी0 लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, साथ ही पूर्व में भी इस गांव के लिए प्राक्कलन प्रेषित किया जा चुका है जिसका फंड का आबंटन नहीं हुआ है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा एक गरीब परिवार की छत के ऊपर से जा रही एल0टी0 लाईन को शिफ्ट करने हेतु भी कहा गया है जिसमे अवर अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, ग्राम चपोली द्वारा पूर्व निर्मित एवं रोड के किनारे स्थित 63 के0वी0ए0 उपसंस्थान एवं विद्युत लाईन के समीप भवन निर्माण किया जा रहा है जिसके सन्दर्भ में श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह को नोटिस निर्गत कर दिया गया है एवं तत्काल लाईन के समीप पेडों की लॉपिंग चॉपिंग करने सम्बन्धी निर्देश सम्बन्धित अवर अभियन्ता को दिये जा चुके हैं।

मंच के कार्यालय पत्रांक 908, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया है, कुमाई गांव में एक ही परिवार रहता है एवं उसके द्वारा संयोजन के लिए भी आवेदन नहीं किया गया है तथा सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह ग्राम चपोली द्वारा 63 के0वी0 उपसंस्थान एवं विद्युत लाईन के समीप भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिह को अवैध निर्माण न करने हेतु नोटिस भी निर्गत कर दिया गया है। ग्राम चपोली में पेडो की लॉपिंग–चौपिंग सम्बन्धित कार्य अभी लम्बित है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि कुमाई गांव में निवासी द्वारा नये संयोजन आवेदन करने पर सर्विस कनेक्शन मद मे लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण करायें एवं

28/2/26 Kuli Ahmad 28/02/26

ग्राम दशोली में लाईन के समीप पेडो की लॉपिंग–चौपिंग शीघ्र कराकर अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को सूचित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–233 / 2026

सुश्री देवी
ग्राम–गहड, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री देवी, ग्राम–गहड़, पो0–पलेठी, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्रामसभा गहड में जो बिजली के खम्भे लगाये गये है वह खम्भे पुराने हो चुके हैं एवं टूटने के कगार पर है तथा वादिनी द्वारा गांव में स्थापित ट्रांसफार्मर को बदलने का आग्रह किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 866, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–712 / विविखश्री / दिनांक 25.02. 2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि सडे गले पोलो को बदलने हेतु खण्ड कार्यालय में ठेकेदार से अनुबन्ध की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया है कि ट्रांसफार्मर को बदलने की आवश्यकता नहीं है

Kirti Prasad
28/02/26

बल्कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना उचित रहेगा, जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राक्कलन की प्रक्रिया गतिमान है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 909, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया है, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि सडे गले पोल एवं अतिरिक्त पोल लगाये जाने हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध की प्रक्रिया गतिमान है। अनुबन्ध होने के उपरान्त शिकायत का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं ग्राम में नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु प्राक्कलन की प्रक्रिया गतिमान है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शीघ्र अनुबन्ध कर उक्त कार्य को पूर्ण करायें एवं कृत कार्यवाही से 01 माह के भीतर मंच को सूचित करें एवं ग्राम में नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु (यदि आवश्यक हो तो) आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद सख्या–234 / 2026

श्री विक्रम सिंह
ग्राम–चपोली, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री विक्रम सिंह, ग्राम–चपोली, पो0–तोली, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्रामपंचायत के अन्तर्गत कई जगह पर विद्युत लाईन की तारें पेडों पर टकराने के कारण झूल रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है एवं कई जगह पर खम्भे भी काफी लम्बे स्पान में लगे हैं जिसके कारण लाईन काफी झूल रही है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 867, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–713 / विविखश्री / दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि सडे गले पोलों को बदलने एवं लम्बे स्पान पर

Kirti Prasad
28/02/26

अतिरिक्त पोल स्थापित किये जाने हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध की प्रक्रिया गतिमान है एवं अनुबन्ध होने के उपरान्त शिकायत का निस्तारण कर दिया जायेगा।

मंच के कार्यालय पत्रांक 910, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया है, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थान ग्राम–चपोली में सडे गले पोल एवं अतिरिक्त पोल लगाये जाने हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध की प्रक्रिया गतिमान है। अनुबन्ध होने के उपरान्त शिकायत का निस्तारण कर दिया जायेगा।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शीघ्र अनुबन्ध कर उक्त कार्य को पूर्ण करायें एवं कृत कार्यवाही से 01 माह के भीतर मंच को सूचित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–235 / 2026

श्री सुरेन्द्र चन्द्र
ग्राम–लंगोर, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुरेन्द्र चन्द, ग्राम–लंगोर, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत काण्डा लग्गा लंगोर में विद्युत केबिल जो कि पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे खतरा बना हुआ है तथा ट्रांसफार्मर से वादी के भवन तक की केबिल भी जगह–जगह टूटी हुई है, जिसे बदलने के लिए अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 868, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–714 / विविखश्री / दिनांक 25.02. 2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि ग्रामसभा लंगोर में ए0बी0 केबिल लगाने

Kirti Prasad
28/02/26

का कार्य सम्पन्न कियाा जा चुका है तथा उनके अनुभाग में ए0बी0 केबिल बदलने का कार्य चल रहा है। ग्राम सभा काण्डा में भी श्री सुरेन्द्र चन्द्र के घर तक केबिल बदलने का कार्य कर दिया जायेगा।

मंच के कार्यालय पत्रांक 911, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, ग्रामसभा लंगोर में ए0बी0 केबिल लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, ग्रामसभा काण्डा में सुरेन्द्र चन्द्र के घर तक केबिल बदलने का कार्य कर दिया जायेगा।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ग्रामसभा काण्डा में सुरेन्द्र चन्द्र के घर तक केबिल बदलने का कार्य अधिकतम 01 माह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से मंच को अवगत करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–236/2026

सुश्री अमिता सेमवाल
ग्राम–चाका पिछवाडा, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी श्री अमिता सेमवाल, ग्राम–चाका पिछवाडा, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम–चाका पिछवाडा में नग्न बिजली की तारों पर प्रोटेक्शन वायर लगाकर पशुओं व ग्रामिणों को भयमुक्त करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 869, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–715/विविखश्री/ दिनांक 25.02. 2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि अनुभाग जामणीखाल में नग्न तार की

Keerti Prasad
28/02/26

जगह ए0बी0 केबिल डालने का कार्य गतिमान है, शीघ्र ही समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

मंच के कार्यालय पत्रांक 912, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादिनी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुभाग जामणीखाल में ए0बी0 केबिल डालने का कार्य गतिमान है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ग्रामसभा चाका पिछवाडा में ए0बी0 केबिल डालने का कार्य अधिकतम 01 माह के भीतर पूर्ण करायें एवं कृत कार्यवाही से मंच को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–237 / 2026

श्री रमेश दास
ग्राम–नागचौण्ड, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री रमेश दास, ग्राम–नामचौण्ड, जामणीखाल, ब्लॉक–हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्रामसभा–नागचौण्ड में कई मकानों के ऊपर से विद्युत लाईन गुजर रही है जो अत्यन्त खतरनाक स्थिति में है, तेज हवा के समय विद्युत लाईन मकान के बहुत करीब आ जाती है जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। परिवार के सदस्यों तथा आसपास की सुरक्षा के लिए लाईन को हटाना एवं शिफ्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 870, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti Prasad
28/02/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–716/विविखश्री/दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि लाईन को स्थानान्तरित करने का प्राक्कलन गतिमान है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 913, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि लाईन को स्थानान्तरित करने का प्राक्कलन गतिमान है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि लाईन को स्थानान्तरित करने हेतु प्राक्कलन अधिकतम 01 माह के भीतर बनाकर वादी को प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	Kirti Prasad 28/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	Kirti Prasad 28/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–238/2026

सुश्री पूनम देवी
ग्राम–कन्याडी, ब्लॉक–देवप्रयाग
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री पूनम देवी, ग्राम–कन्याडी, देवप्रयाग, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्रामसभा कन्याडी के कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति हेतु लगे तार अत्यधिक जर्जर हो चुके हैं एवं कई विद्युत खम्भे भी खराब होने की अवस्था में है, जिससे आए दिन विद्युत बाधित होती रहती है, इस स्थिति के कारण ग्रामवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। वादिनी द्वारा अनुरोध किया गया है कि ग्राम पंचायत कन्याडी में पुराने एवं खराब विद्युत तारों को हटाकर बंचिंग केबल लगवाने तथा जर्जर/खराब विद्युत खम्भों को शीघ्र बदलवाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

Kirti Prasad
28/02/26

28/2/26

2812

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 871, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–579 / वि0वि0ख0(श्री0) / दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि ग्रामसभा कन्याडी में सडे गले पोलों को बदलने एवं ए0बी0 केबिल बिछाने का कार्य सम्पन्न कर दिया गया है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 914, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादिनी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामसभा कन्याडी में सडे गले पोलो को बदलने एवं ए0बी0 केबिल बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी की शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–239 / 2026

ग्रामप्रधान सांदणा कोट
पो0–देवप्रयाग
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

ग्रामप्रधान सांदणाकोट, पो0–देवप्रयाग, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि कोट गांव में 50–60 परिवारों के बीच एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिससे विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 20–25 परिवारों की ही है। अतः गांव में ट्रासफार्मर की क्षमता की वृद्धि की जानी है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 872, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti prasad 28/02/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—948 / विविखश्री / दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि सांदणा कोट गांव में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने का प्राक्कलन गतिमान है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 915, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नही हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि सांदणाकोट गांव में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है जिस हेतु प्राक्कलन प्रक्रिया गतिमान है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सांदणाकोट में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/2/26	28/2	Kirti Prasad 28/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/2/26	28/2	Kirti Prasad 28/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–240 / 2026

श्री सुखदेव सिंह
ग्राम–ड्वीला तल्ला, पो0–गवाणी
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुखदेव सिंह, ग्राम–ड्वीला तल्ला, पो0–गवाणी, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को CGRF PORTAL से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि दिनांक 24.10.2025 को विद्युत मापक पर अन्तिम रीडिंग 5743 दर्शाई गई थी जबकि वादी की वर्तमान रीडिंग 4075 है एवं उनके द्वारा बिल संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 874, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti prasad
06/02/26

Amit Thakur
6/2/2026

6/2/26

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 895, दिनांक 24.01.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3137 / वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि, दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या–PG26314095372 विद्युत बिल वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक विद्युत बिल रू0–653.72 है।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को माह 10 / 2025 का बिल अन्तिम रीडिंग 5743 (गलत रीडिंग) के आधार पर निर्गत कर दिया गया था जिसको कि विपक्षी द्वारा माह 12 / 2025 में सही रीडिंग 4710 पर संशोधित कर दिया गया है। जो कि नियमानुसार सही है।

आदेश

वादी का बिल सही रीडिंग पर संशोधित कर दिया गया है। दिनांक 27.01.2026 तक वादी पर बकाया रू0 –654 है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/2/26 अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	06/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/2/26 अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	06/02/26 कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–241 / 2026

मै0 इण्डस टावर लिमिटेड
सालकोट,
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, सालकोट, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि–

Sir,

We have permanent electric connection having account No- 40117089561, 20KWconnected load in the name of Indus Towers limited at location- Saal Kot, under PAURI Division.

Issued bill for the month of AUG'25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 2679.18/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. Our load has not exceeded up to that level. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.

06/02/26

6/2/2026

6/2/26

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 875, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 896, दिनांक 24.01.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3139 / वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि, दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या–PG0K000020749 खाता सं0–40117089561 पर स्थापित विद्युत मापक की MRI करने पर MRI में Communication Error प्रदर्शित होने के कारण MRI सम्भव नहीं हो पाई एवं मैनुवल आधार पर रीडिंग सही पाई गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अपने पत्र–3139, दिनांक 30.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वादी के मापक की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है जिस कारण मैनुअल रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किये गये हैं, माह 08 / 2025 गलत KVAH रीडिंग फीड होने के कारण Low Power Factor surcharge रू0 2679.00 जोड दिया गया था जबकि पूर्व के बिलों में कोई Low Power Factor surcharge नहीं लिया गया था। स्पष्ट है कि वादी के मापक की रीडिंग सही प्रकार से नहीं ली गई है।

6/2/2026 06/02/26

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के माह 08/2025 के बिल से Low Power Factor surcharge रू0 2679.00 हटाकर बिल संशोधित करें एवं वादी का मापक स्मार्ट मीटर से बदलना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/2/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/2/26

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad 06/02/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/2/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/2/26

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad 06/02/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–242 / 2026

मै0 इण्डस टावर लिमिटेड
पैडुल,
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, पैडुल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि–

Sir,

We have permanent electric connection having account No- 40117423729, 21KWconnected load in the name of Indus Towers limited at location- Paidul under PAURI Division.

Issued bill for the month of Nov'25 in which abnormal maximum demand for 38 KW shown & wrongly excess demand charge levied for the unjustified amount Rs-7612/ Our connected load was never exceed beyond the connected load. We have multiple times approach to division for correction of wrongly excess demand charge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

Kirti Prasad
06/02/2026

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom.

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 876, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 897, दिनांक 24.01.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3138/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि, दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि मै0 इण्डस टावर लि0, पैडुल PG0K000021232 खाता सं0–40117423729 पर स्थापित विद्युत मापक की MRI करने पर MRI में Communication Error प्रदर्शित होने के कारण MRI सम्भव नहीं हो पाई एवं मैनुवल आधार पर रीडिंग सही पाई गई CUM MD 1721.50 KWH एवं CUM MD 1945.26 KVA पाई गई, जबकि माह दिसम्बर 2025 तक विद्युत बिल CUM MD 1584.50 KWH एवं CUM MD 1693.48 KVA तक ही निर्गत किये गये हैं।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अपने पत्र–3138, दिनांक 30.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वादी के मापक की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है जिस कारण मैनुअल रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किये गये हैं, मापक मे मैनुअल रीडिंग के आधार पर डिमाण्ड 1721 है जबकि माह 11/2025 के बिल में डिमाण्ड 1553 अंकित है। स्पष्ट है कि पूर्व में रीडिंग सही प्रकार से न लेकर अर्थात् मापक की डिमाण्ड कम दिखाई गई है।

6/2/26

Kuty Prasad
06/02/26

<u>आदेश</u>

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के माह 11/2025 एवं 12/2025 में अतिरिक्त डिमाण्ड चार्जेस को विगत 06 माह के औंसत के आधार पर संशोधित करें एवं वादी का मापक स्मार्ट मापक 15 दिन के भीतर बदलना सुनिश्चित करें।

<u>अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।</u>

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)

द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174

दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–244 / 2026

मै0 इण्डस टावर लिमिटेड
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, श्रीनगर गढवाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि–

Sir,

We have permanent electric connection having account No- 40109937659, 18KWconnected load in the name of Indus Towers limited at location- DUTTA_RPT, under SRINAGAR Division.

Issued bill for the month of AUG'25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 3299.18/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. Our load has not exceeded up to that level. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us.

Kirti Prasad
28/02/26

Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 878, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 899, दिनांक 24.01.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 916, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–828 / विविखश्री / दिनांक 27.02. 2026 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायत की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी, श्रीनगर को निर्देशित किया गया था। जिसमें उनके द्वारा जांच की प्रक्रिया गतिमान है अतः आप से अनुरोध है कि उक्त शिकायत के निस्तारण हेतु अद्योहस्ताक्षरी को एक सप्ताह का समय देने का कष्ट करें।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि मीटर की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है इस कारण उनके द्वारा समय भी मांगा गया है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के अगस्त 2025 से पूर्व के 03 बिलों के आधार पर पॉवर फेक्टर सरचार्ज की गणना कर संशोधित बिल निर्गत करें एवं वादी का मापक स्मार्ट मीटर से अधिकतम 01 माह के भीतर बदलकर मंच को सूचित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

28/02/26

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–245/2026

मै0 इण्डस टावर लिमिटेड
डांग
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, पैडुल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि–

Sir,

We have permanent electric connection having account No- 41900008498, 15KWconnected load in the name of Indus Towers limited at location- Dang Village, under SRINAGAR Division.

Issued bill for the month of SEP'25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs-3119.38/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. Our load has not exceeded up to that level. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.

Kirti Prasad
06/02/26

Amit
6/2/26

6/2/26

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 879, दिनांक 02.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 900, दिनांक 24.01.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–499 / वि0वि0ख0(श्री0) / दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उक्त शिकायत का निरतारण कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के बिल माह 09 / 2025 में गलत KVAH रीडिंग भरने के कारण Low Power Factor surcharge रू0 3119.00 लगा दिया गया था। जिसको कि विपक्षी द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा रू0 3119.00 Low Power Factor surcharge को वादी के बिल से हटा दिया गया है जो कि नियमानुसार ठीक है। अतः वादी का वाद निस्तारित

Kirti Prasad
06/02/26

6/2/26

6/2/26

किया जाता है। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–247 / 2026

सुश्री दीपा देवी
ग्राम–तल्लाकोट, हिंसरियाखाल
टिहरी गढवाल — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री दीपा देवी, ग्राम–तल्लाकोट, हिंसरियाखाल, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 05.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि 30 नवम्बर 2025 को विद्युत मापक बदला गया था, पुराने मापक की अन्तिम रीडिंग 7660 दर्शाई गई है, जो कि गलत है। इसके कारण वादी को विभाग द्वारा रू0 13923 का बिल प्रेषित किया गया है जो कि उनके अनुसार बहुत अधिक है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 890, दिनांक 06.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 918, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। सुनवाई के मध्य विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी द्वारा अपनी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज कराई गई है जिसके अनुपालन में वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख मंच के समक्ष प्रस्तुत किये। वादी का पूर्व में मापक दिनांक 19.01.2015 को बदला गया था, 30.11.2025 को वादी का मापक पुनः स्मार्ट मीटर से बदला गया। उक्त अवधि में वादी को बहुत कम रीडिंग के बिल प्राप्त हुये जबकि मीटर में रीडिंग अधिक थी। विपक्षी द्वारा दिनांक 19.01.2015 से 30.11.2025 तक के समस्त बिल औसत उपभोग के आधार पर संशोधित कर दिये गये हैं। दिनांक 19.02.2026 तक रू0 3619.00 वादी पर भुगतान हेतु लम्बित है।

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी की शिकायत का नियमानुसार बिल संशोधन कर निवारण कर दिया गया है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/2/26	28/2	Kirti Prasad 28/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/2/26	28/2	Kirti Prasad 28/02/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–248 / 2026

श्री बलबीर सिंह
घसियामहादेव
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री बलबीर सिंह, घसियामहोदव, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा अत्यधिक विद्युत बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 891, दिनांक 19.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–502/वि0वि0ख0(श्री0)/ दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया था, जिसमे उपभोक्ता का पूर्व मीटर (18258760) 2172 प्रतिशत Fast पाया गया जिसे IDF उपभोक्ता के परिसर पर नया मापक स्थापित कर दिया गया। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मीटर चेंज से पूर्व उपभोक्ता के पांच माह (03/2025 से 07/2025) की औंसत खपत 4001 KVAH है, एवं मीटर चेंज के उपरान्त उपभोक्ता की पांच माह (08/2025 से 12/2025) की औंसत खपत 3658 KVAH है, जिससे यह स्पष्ट है कि चैक मीटर लगने से पूर्व भी उपभोक्ता की खपत लगभग समान ही है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 919, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री बलवीर सिंह उपस्थित हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी के यहां दिनांक 27.06.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया था जिसको कि दिनांक 22.08.2025 को फाइनल किया गया। वादी का पुराना मापक 2172 प्रतिशत फास्ट पाया गया, स्पष्ट है कि वादी का पुराना मापक खराब था।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि चैक मीटर लगाने की तिथि से 03 माह पूर्व के बिल (माह 04/05/06/2025) के बिल माह 01/02/03 के बिल के औंसत के आधार पर संशोधित कर वादी को प्रेषित करें। एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

28/02/26

28/2/26

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–249/2026

श्री गणेश प्रसाद
ग्राम–अखाडा, देवलगढ।
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री गणेश प्रसाद, ग्राम–अखाडा, देवलगढ, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 21.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत बिल अधिक आ रहा है उनके बिल लगभग 1000 रू0 से नीचे ही आते हैं परन्तु विगत माह –09/2025 में रू0 1623, माह 11/2025 में रू0 2018 एवं माह 01/2026 में रू0 2160 आ रखा है, जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी द्वारा अपने विद्युत बिल को ठीक करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 892, दिनांक 21.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–327/वि0वि0ख0(श्री0)/ दिनांक 30. 01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों

Kirti prasad 06/02/26

की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा मई 2025 के बाद किसी भी बिल की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि नवम्बर 2025 तक बढकर रू0–2018.00 हो गयी थी। जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 08.01.2026 को किया गया। वर्तमान में उक्त उपभोक्ता पर रू0–142.00 (एक सौ बयालीस रू0) मात्र विभाग को देय है।

विश्लेषण

आज दिनांक 06.02.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को माह 03/2025 से 01/2026 तक के बिल अनियमित रीडिंग के आधार पर प्राप्त हुये है, माह 03/2025 का बिल 58 यूनिट उपभोग के आधार पर निर्गत किया गया है जबकि माह 09/2025 का बिल 315 यूनिट उपभोग के आधार पर निर्गत किया गया है। स्पष्ट है कि माह 09/2025 मे वादी की उच्च स्लैब पर बिलिंग की गई है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माह 03/2025 से 01/2026 तक के समस्त बिलों को औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं अनुपालन आख्या 01 माह के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
***दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–* Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–250/2026

सुश्री सीता देवी
ग्राम–सिमखेत, पो0–पाबौं
पौडी गढवाल — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री सीता देवी, ग्राम–सिमखेत, पो0–पाबौ, घुडदौडस्यूं, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका संयोजन सं0–PG24302207524 पर विद्युत बिल उपयोग से अधिक आ रहा है जबकि खपत लगभग सामान्य है, वादी द्वारा विद्युत बिल संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 901, दिनांक 28.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti Prasad 28/02/26

28/2/26

28/2

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–901 / वि0वि0ख0(पौ0) / दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता सुश्री सीता देवी, ग्राम–सिमखेत, पो0–पाबौं, पौडी गढवाल विद्युत संयोजन संख्या PG24302207524 पर स्थापित विद्युत मीटर 40039085 की रीडिंग की जांच करने पर मीटर रीडिंग सही पाई गई है। उपभोक्ता के परिसर पर उक्त मापक दिनांक 29.01.2015 को स्थापित हुआ। उक्त मीटर की स्थापना की तिथि से दिनांक 21.02.2026 तक उपभोक्ता के मीटर पर 34322 रीडिंग पाई गई। उक्त अवधि (29.01.2015 से 21.02.2026) तक के विद्युत बिल वित्तीय वर्ष के अनुसार समय–समय लागू टैरिफ के हिसाब से उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा बिल संशोधन कर दिये गये हैं। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 61633.60 भुगतान हेतु लम्बित है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 907, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत जी (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी के परिसर पर बिल विवरण के अनुसार दिनांक 29.01.2015 को विद्युत मापक स्थापित किया गया था उसके पश्चात् वादी को किसी माह बहुत कम रीडिंग एवं किसी माह अत्यधिक रीडिंग के बिल प्राप्त हुये। विपक्षी द्वारा वादी के समस्त बिल अवधि (29.01.2015 से 21.02.2026) तक समय–समय पर लागू टैरिफ के अनुसार संशोधित कर दिये गये हैं।

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं। दिनांक 24.02.2026 तक वादी द्वारा रू0 61633.00 भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

28/2/26 Kirti Arora 28/02/26

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–251 / 2026

श्री सुन्दरमणी डबराल
मढी चौरास, पो0–किलकिलेश्वर
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुन्दरमणी डबराल, मढी चौरास, पो0–किलकिलेश्वर, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मार्च 2021 में 03 किलोवाट का सोलर प्लाण्ट लगाया गया था जिसको लेकर वादी को अवगत कराया गया था कि यह प्लाण्ट 13–14 यूनिट बिजली प्रतिदिन उत्पन्न करेगा जिससे आपका विद्युत बिल शून्य आयेगा तथा आपको न्यूनतम 200–250 रू0 तक प्रतिमाह मिलेगा। परन्तु वादी को पैसें नहीं मिले इसके प्रतिकूल जब से उन्होने यह प्लाण्ट लगाया है तब से विद्युत बिल अधिक आना शुरू हो गया है। वादी को रू0 16174 / – का बिल प्रेषित किया गया है जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

Kirti Prasad
28/02/26

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल को अपने पत्रांक सं0 902, दिनांक 30.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 920, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–829/विविखश्री/दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मापक) परीक्षणशाला के कार्यालय पत्रांक 28 दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से यह संज्ञान मे आया है कि मापक से कनेक्शन सही पाए गए तथा एम0आर0आई0 करने पर पाया गया है कि दिनांक 28.11.2025 के पश्चात् ही Eport unit में वृद्धि हुई जिस पर उपभोक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा सोलर फर्म M/S Success Impex Pvt.Ltd. से सम्पर्क कर दिनांक 28.11.2025 को Inverter सही कराया गया अतः उपभोक्ता का बिल अधिक आने का कारण Inverter सही न होना पाया गया है साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 07.02.2026 तक उपभोक्ता के सोलर प्लान्ट द्वारा 3256 KWH Unit Export की गई एवं 5141 KWH Import की गई है, साथ ही उपभोक्ता द्वारा विद्युत बीजक का अन्तिम भुगतान 24 फरवरी 2021 में किया गया था, उसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा कोई बीजक का भुगतान नहीं किया गया।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी स्वयं उपस्थित हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि M/S Success Impex Pvt.Ltd. द्वारा वादी के यहां सोलर पैनल स्थापित किया गया था जिसका Inverter कम्पनी द्वारा दिनांक 28.11.2025 को सही किया गया है, सही करने के पश्चात् मीटर द्वारा Export में रीडिंग दर्शाई जा रही है, वादी के यहां दिनांक 08.03.2021 को सोलर प्लाण्ट ऊर्जीकृत किया गया था। उक्त अवधि में Import/Export KWH क्रमशः 5141/3256 है जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा इम्पोर्ट उपभोग अधिक रहा है, ऐंसा प्रतीत होता है कि M/S

Kuti Prasad 28/02/26

Success Impex Pvt.Ltd. द्वारा वादी के यहां सोलर पैनल का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं किया गया है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि M/S Success Impex Pvt.Ltd. को ब्लैकलिस्ट करने हेतु मुख्य अभियन्ता, जनपद नोडल अधिकारी सोलर परियोजना को अपनी संस्तुती प्रेषित कर कृत कार्यवाही से 01 माह के भीतर मंच को अवगत करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)

द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174

दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–252/2026

श्री संजय भट्ट
नियर बेस अस्पताल कॉलनी
श्रीकोट गंगानाली — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री संजय भट्ट, नियर बेस अस्पताल कॉलनी, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 02.02.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि –

Account Number: 42401107376

Sir,

I wish to bring to your kind notice that I have installed a rooftop solar panel system under the PM Surya Ghar Scheme in the month of June 2025, which was duly commissioned.

After approximately three months of installation, I have recently observed that the electricity units recorded in the service provider mobile application have reduced abnormally. On further inspection, it was noticed that the solar inverter/converter is displaying an error message:

"IE: 00004 - GridVolt Fault."

Kirti Prasad
28/02/26

28/2/26

Additionally, the service provider application is also showing a system failure message, indicating that the incoming and outgoing electricity units are not being recorded correctly.

Due to the above issue, there is a strong possibility that the net metering data is incorrect, which may lead to discrepancies in billing and generation records.

In view of the above, I respectfully request the concerned department to:

1. Inspect the solar system and net meter at the earliest;

2. Rectify the Grid Voltage Fault appearing in the inverter; and

3. Ensure that proper and accurate recording of electricity import and export units is restored in the UPCL system and mobile application.

I shall be grateful for an early resolution of the issue to avoid further discrepancies.

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 903, दिनांक 02.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 921, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–731/विविखश्री/दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से अवगत कराया है कि सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं से किये ये अनुबन्ध Clause 7.3 (संलग्न) के अनुसार सोलर रूफटॉप प्लान्ट के Inter Connection Point से पूर्व सोलर रूफटॉप प्लान्ट से सम्बन्धित पूर्ण जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया, विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं से किये ये अनुबन्ध Clause 7.3 के अनुसार सोलर रूफटॉप प्लान्ट के Inter Connection Point से पूर्व सोलर रूफटॉप प्लान्ट से सम्बन्धित पूर्ण जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं है। ऐंसा प्रतीत होता है कि सोलर पैनल या इन्वर्टर में कोई तकनीकी खराबी है।

Kirti Prasad
28/02/26

आदेश

वादी को सूचित किया जाता है कि वह उस कम्पनी से शिकायत करें जिसके द्वारा उनके यहां सोलर रूफटॉप प्लान्ट स्थापित किया गया है। साथ ही विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि निरीक्षण के मध्य वह अपना प्रतिनिधि भी भेजना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)</u>
<u>द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174</u>
<u>दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com</u>

<u>वाद संख्या–254 / 2026</u>

श्री सोम्या मियां
न्यू डांग
श्रीनगर गढवाल। वादी

<u>बनाम</u>

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सोम्या मियां, न्यू डांग, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 03.02.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि वास्तविक विद्युत उपभोग की मात्रा बहुत कम होने के बावजूद वादी को लगातार अधिक यूनिट्स एवं अधिक राशि के बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे उनको गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड रही है। वादी का विद्युत संयोजन वर्तमान में वाणिज्यिक श्रेणी में दर्ज है तथा इस पर स्मार्ट मीटर स्थापित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाणिज्यिक टैरिफ एवं स्मार्ट मीटर के कारण बिलिंग में गंभीर त्रुटि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कम खपत के बावजूद अत्यधिक बिल लगाये जा रहे हैं तथा वादी द्वारा अनुरोध किया गया है कि विभागीय स्तर पर मीटर रीडिंग, बिलिंग प्रक्रिया एवं स्मार्ट मीटर की जांच कराई जाये ताकि वास्तविक खपत के अनुसार सही एवं न्यायसंगत बिल सुनिश्चित किया जा सके। वादी द्वारा सी0एम0 हेल्पलाईन पर भी शिकायत दर्ज कराई है तो यदि उपरोक्त सी0एम0

Kirti Prasad
28/02/26

हेल्पलाईन शिकायत के बावजूद भी समस्या का समयबद्ध एवं संतोषजनक निवारण नहीं किया जाता है अथवा जांच के पश्चात् भी समस्या बनी रहती है तो कृपया यह प्रार्थना स्वीकार करते हुये उक्त विद्युत कनेक्शन को बंद किये जाने की कार्यवाही करने की कृपा करें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में यह कनेक्शन मेरे लिए लगातार आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत कें निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 905, दिनांक 03.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–580/विविखश्री/दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये हैं। शिकायतकर्ता द्वारा माह जनवरी 2026 का बिल जमा नहीं कराया गया है, जो कि फरवरी 2026 के बि लमें जुडकर रू0–2440.00 हो गयी है। यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है तो किसी भी कार्यदिवश को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् जो भी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उसके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी के बिल विवरण से स्पष्ट है कि वादी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

वादी को सूचित किया जाता है कि उनको नियमानुसार बिल निर्गत किये गये हैं, यदि उनको ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका मीटर तेज चल रहा है तो वह चैक

Kirti prasad 28/02/26

[signature] 28/2/26 [signature] 28/2

मीटर की फीस विपक्षी के कार्यालय में जमा करायें जिससे कि उनका मापक चैक किया जा सके।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–263 / 2026

श्री मनोज कुमार
ग्राम–कनोठा, पो0–कुंजखाल
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री मनोज कुमार, पुत्र स्व0 श्री किशन दत्त जखमोला, ग्राम–कनोठा, पो0–कुंजखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 09.02.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि पिछले 05 वर्षों से हम सभी परिवार सहित गांव से बाहर रह रहे हैं एवं इस अवधि में भवन में विद्युत उपयोग न के बराबर हुआ है, इसके बावजूद वादी को विभाग द्वारा रू0 10,000.00 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया है जिससे वह परेशान है वादी द्वारा इस सम्बन्ध में यू0पी0सी0एल0 कस्टमर केयर से वार्ता की गई जिसमें उनको अवगत कराया है कि उनका संयोजन एन0ए0 दर्शा रहा है। वादी को गलत तरीके से अत्यधिक राशि के बिल जारी किये जा रहे हैं, जो कि वास्तविक खपत से मेल नहीं खा रहे हैं, वादी द्वारा कई बार विभाग में इसकी शिकायत भी की है परन्तु उनकी समस्या का सामाधान नहीं हो पाया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

Kirti Prasad
28/02/26

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 931, दिनांक 10.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3338/विविखश्री/दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि संयोजन सं0–PG1541027385 विद्युत बिल वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 149.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

आज दिनांक 28.02.2026 को सुनवाई हुई विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत जी (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को माह 09 एवं 11/2025 में गलत रीडिंग के बिल प्रेषित किये गये जिनको कि विपक्षी द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा गलत रीडिंग के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये है, संशोधन उपरान्त वादी पर वास्तविक बकाया रू0 149.00 है। जो कि सही है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.02.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)